

प्रेषक

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

मैक्स सुपर स्पेशलीटी/ पुष्पांजली क्रॉसलेय अस्पताल

डब्लू-3,सेक्टर-1 वैशाली,

गाजियाबाद- 201012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या   | बीमारी का नाम      | अनुदान की राशि                           |
|---------|--|--------------------|--|
| 1       | 2  | 3                  | 4  |
| 1       | माधवेन्द्र कुमार<br>पिता-जगदीश शर्मा<br>ग्राम-अभरनचक<br>पोस्ट-अमरपुरा<br>थाना-नौबतपुर<br>जिला-पटना | गुर्दा प्रत्यारोपण | ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत। |
|         |  |                    | कुल ₹ 2,50,000/-                         |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- ( दो लाख पचास हजार ) रुपया का क्रास चेक सं०. 848776 मूल रूप में संलग्न है।  
(चेक Crosslay Remedies Ltd के नाम से निर्गत )।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा। चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए नहीं।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि या यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 20.9.17

ज्ञापांक 1555(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
20.9.17

प्रेषक

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या  | बीमारी का नाम   | अनुदान की राशि                           |
|---------|--|-----------------|--|
| 1       | 2  | 3               | 4  |
| 1       | शैलेश कुमार<br>पिता-स्व. शिवनाथ साह<br>ग्राम-बन्दीपुर<br>पो०+थाना-रामगढ<br>जिला-भभुआ, कैमुर<br>पंजीसं०-102999224 | हिप रिपलेस्मेंट | ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत। |
|         |  |                 | कुल ₹ 1,50,000/-                         |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 818778 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम- निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....~~878778~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1553(14)

पटना, दिनांक 20.9.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/17

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
श्री. नन्द

सं० सं० 14/एम 11-2/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में ,

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या  | बीमारी का नाम       | अनुदान की राशि                             |
|---------|--|---------------------|--|
| 1       | 2  | 3                   | 4  |
| 1       | रिम्पा कुमारी<br>पिता-मुन्ना यादव<br>ग्राम-अतबलचक<br>पोस्ट-डीहा<br>थाना-थरथरी<br>जिला-नालंदा<br>सीआरनं०-2017505250 | सर्जरी (न्युरो रोग) | ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।           |
| 2       | राज किशोर हरिजन<br>पिता-मोतीबर राम<br>ग्राम-श्रीनगर मैरवा<br>पो०+थाना-मैरवा<br>जिला-सीवान<br>सीआरनं०-2017730148    | हृदय रोग            | ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत। |
| 3       | रौशन<br>पिता-राजेश कुमार<br>ग्राम-लश्करीगंज<br>पो०+थाना-सासाराम<br>जिला-रोहतास<br>सीआरनं०-2016209913               | ब्रेन ट्युमर        | ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।   |
| 4       | दीपक कुमार<br>पिता-स्व. लक्ष्मण पासवान<br>ग्राम-पो०+थाना-कुढ़नी<br>जिला-मुजफ्फरपुर<br>सीआरनं०-2017653420           | नस रोग (सर्जरी)     | ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।           |

सं०

|   |  |           |                                |
|---|--|-----------|--------------------------------|
| 5 | फैसल इमाम<br>पिता-हसन अख्तर<br>ग्राम-न्यु अजिमाबाद कालोनी<br>पो0-महेन्दु<br>थाना-सुल्तानगंज<br>जिला-पटना<br>सीआरनं0-2015773868 | कैंसर रोग | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत। |
|   |  |           | कुल ₹ 4,55,000 /-              |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,55,000 /-(चार लाख पचपन हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~848779~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डा0 कविन्द्र प्रसाद सिन्हा)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~848779~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0 / -

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1558(14)

पटना, दिनांक 20.09.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री रमेश सिंह कुशवाहा, मा0 स0वि0स0 जीरादेई / सभी संबंधित मरीजों/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

20.09.17

सं० सं० 14/एम 11-2/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक  
सर सुन्दर लाल अस्पताल,  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या   | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि                   |
|---------|---|---------------|----------------------------------|
| 1       | 2   | 3             | 4                                |
| 1       | सुनैना देवी<br>पति-राजेन्द्र पासवान<br>ग्राम-डंडी टोला<br>पोस्ट-फुलवरीया<br>थाना-सुगौली<br>जिला-पूर्वी चम्पारण<br>एमआरडीनं०-1413908 | कैंसर रोग     | ₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 2       | रूबी देवी<br>पति-राम अवधेश राय<br>ग्राम-बोदाधी<br>पोस्ट-थाना-दावथ<br>जिला-रोहतास<br>पंजी सं०-2539-2565/14                           | कैंसर रोग     | ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 3       | मो० इरफान अली<br>पिता-मो० सुलेमान<br>ग्राम-मोहीउद्दीनपुर पकड़ी<br>पो०-पकड़ी<br>थाना-अलीनगर<br>जिला-दरभंगा<br>एमआरडीनं०-990610       | कैंसर रोग     | ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 4       | सिकन्दर चौधरी<br>पिता-स्व. लाल बिहारी चौधरी<br>ग्राम-मकराईन<br>पोस्ट-डालमिया नगर<br>थाना-डीहरी<br>जिला-रोहतास<br>एमआरडीनं०-1360826  | कैंसर रोग     | ₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।   |

५१

|   |  |           |                                 |
|---|--|-----------|---------------------------------|
| 5 | सुरसती देवी<br>पति-विशुनदेव उरॉव<br>ग्राम-नागाटोली<br>पो0-बौलीया<br>थाना+जिला-रोहतास<br>पंजीसं0-1914/16                | कैंसर रोग | ₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।  |
| 6 | निकिता देवी<br>पति-संजीत चौधरी<br>ग्राम-पोवाय<br>पो0-दुगुल<br>थाना-सलैया<br>जिला-औरंगाबाद<br>एमआरडीनं0-456927          | हृदय रोग  | ₹ 70,000 /-(सतर हजार) स्वीकृत।  |
| 7 | सरोज देवी<br>पति-शिवजी सिंह<br>ग्राम-माधोपुर<br>पोस्ट-मोगलनीया<br>थाना-मधुबन<br>जिला-पूर्वी चम्पारण<br>एमआरडीनं0-11804 | हृदय रोग  | ₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत। |
|   |  |           | कुल ₹ 5,40,000 /-               |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,40,000 /-( पांच लाख चालीस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 818780.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता हैं
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (**unutilised**) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/

(डा0 कविन्द्र प्रसाद सिन्हा)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~848780~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

ज्ञापांक

1560(14)

पटना दिनांक

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

20.9.17

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / संबंधित मरीज / श्री रामचन्द्र सहनी मा० स०वि०स० सुगौली / श्री राणा रणधीर, मा० मंत्री सहकारिता विभाग / आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

10/11/17

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
24.9.17



सं० सं० 14/एम 11-3/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक  
मेदान्ता द मेडिसिटी, गुड़गांव,  
सेक्टर-38, हरियाणा,  
पीन-122 001

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या  | बीमारी का नाम  | अनुदान की राशि                             |
|---------|--|----------------|--|
| 1       | 2  | 3              | 4  |
| 1       | नरेश प्रसाद<br>पिता-शिव रतन साव<br>ग्राम-सिपारा गांधी मुर्ती<br>पो०-ढेलवा<br>थाना-बेउर<br>जिला-पटना            | स्पाईनल सर्जरी | ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।   |
| 2       | अशोक कुमार वर्मा<br>पिता-स्व. रामनन्द प्र० वर्मा<br>ग्राम-रानीपुर<br>पो०-झाउगंज<br>थाना-मेंहदीगंज<br>जिला-पटना | हृदय रोग       | ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत। |
|         |  |                | कुल ₹ 2,75,000/-                           |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,75,000/- (दो लाख पचहतर हजार) का क्रास चेक सं०..... 848777 ..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

5. यह चेक ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लि०, गुड़गावं हरियाणा के नाम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1559(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री नन्द किशोर यादव  
मा० मंत्री पथ निर्माण वि० / संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/17  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
20.9.17

सं० सं० 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन  
सेवा में,  
निदेशक,  
हार्ट अस्पताल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.9.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्र०सं० | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या  | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि  |
|---------|--|---------------|---|
| 1       | 2  | 3             | 4   |
| 1       | मुंगा लाल वर्मा<br>पिता-बरमेश्वर प्रसाद<br>ग्राम-राजाबाजार बिहियां<br>पो०+थाना-बिहियां<br>जिला-भोजपुर                      | हृदय रोग      | ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।                      |
| 2       | जैबुन निशा<br>पति-असमुल्लाह खान<br>ग्राम-परसा पठान टोली<br>पो०-नरकटिया<br>थाना-दरपा<br>जिला-पूर्वी चम्पारण                 | हृदय रोग      | ₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।                                  |
| 3       | रामानुज सिंह<br>पिता-स्व. बिजली सिंह<br>ग्राम-छोटकी खड़वा<br>पो०-लाला भदसारा<br>थाना-दुल्हन बाजार<br>जिला-पटना             | हृदय रोग      | ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।                      |
| 4       | कार्यानन्दन शर्मा<br>पिता-मथुरा प्रसाद सिंह<br>ग्राम-बरहपुर<br>पो०-मोर<br>थाना-मोकामा<br>जिला-पटना                         | हृदय रोग      | ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।                      |
| 5       | सचिन कुमार<br>पिता-परमेश्वर कुमार<br>ग्राम-न्यु ऐरिया हरनीचक<br>वशिष्ट कालोनी<br>पो०-अनिसाबाद<br>थाना-फुलवारी<br>जिला-पटना | हृदय रोग      | ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति में। |

५५०

|   |   |          |                                    |
|---|---|----------|------------------------------------|
| 6 | इन्दु देवी<br>पति-बबलु प्रसाद<br>ग्राम-नया टोला राघोपुर<br>पो0+थाना-बख्तियारपुर<br>जिला-पटना      | हृदय रोग | ₹ 50,000/- (पचास हजार)<br>स्वीकृत। |
| 7 | अंशु देवी<br>पति-मुकेश कुमार<br>ग्राम-पहलेजा शाहपुर, सुदामा टोला,<br>पो0+थाना-सोनपुर<br>जिला-सारण | हृदय रोग | ₹ 50,000/- (पचास हजार)<br>स्वीकृत। |
|   |   |          | कुल ₹ 6,65,000/-                   |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,65,000/- ( छः लाख सैसठ हजार ) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~848781~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 कविन्द्र प्रसाद सिन्हा)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~848781~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1567(14)

पटना, दिनांक 20.09.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.09.17

सं० सं० 14/एम 11-1/17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० कविन्द्र प्रसाद सिन्हा  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.9.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या   | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि                 |
|---------|--|---------------|--------------------------------|
| 1       | 2  | 3             | 4                              |
| 1.      | रामराजी सिंह<br>पिता-स्व. फेंकन सिंह<br>ग्राम-अख्तियारपुर पटेढा<br>पोस्ट-थाना-सराय<br>जिला-वैशाली<br>सीआरनं०-129886 / 17             | कैंसर रोग     | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत। |
| 2.      | सकीला खातुन<br>पति-साबीर अली<br>ग्राम-सराय धनेश<br>पो०-सहदेई बुजुर्ग<br>थाना-देसरी<br>जिला-वैशाली<br>सीआरनं०-154143 / 17             | कैंसर रोग     | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत। |
| 3.      | गीता सिन्हा<br>पति-बनारस प्रसाद<br>ग्राम-नई सराय चौधरी कालोनी,<br>पो०+थाना-बिहारशरीफ<br>जिला-नालंदा<br>पंजी / ओ०पी०डी० / 135423 / 17 | कैंसर रोग     | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत। |
| 4.      | सुनीता देवी<br>पति-नरेश रमनी<br>ग्राम-बाघमारा सप्तमी<br>पो०-पीर मोकाम<br>थाना-फलका<br>जिला-कटिहार<br>सीआरनं०-140301 / 17             | कैंसर रोग     | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत। |

13/9

|     |   |           |                                |
|-----|---|-----------|--------------------------------|
| 5.  | उदय पासवान<br>पिता-परसादी पासवान<br>ग्राम-बोचहा बालुपर<br>पो0-बोचहा<br>थाना-मोहीउद्दीन नगर<br>जिला-समस्तीपुर<br>सीआरनं0-164410 / 17                   | कैंसर रोग | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत। |
| 6.  | जिसान<br>पिता-मो0 रामजानी अंसारी<br>ग्राम-कोस्कीनाथझा लेन सरदारपुर,<br>पो0-चंपा नगर<br>थाना-नाथ नगर<br>जिला-भागलपुर<br>सीआरनं0-156947 / 17            | कैंसर रोग | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत। |
| 7.  | राजेश्वर प्रसाद<br>पिता-स्व. मल्लु प्रसाद<br>ग्राम-सालीमपुर अहरा<br>गली नं0-2,<br>पो0-कदमकुंआ<br>थाना-गांधी मैदान<br>जिला-पटना<br>सीआरनं0-109550 / 17 | कैंसर रोग | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत। |
| 8.  | राम प्रकाश साह<br>पिता-बंगाली साह<br>ग्राम+पो0+थाना-मंसुरचक<br>जिला-बेगुसराय<br>सीआरनं0-110851 / 17   | कैंसर रोग | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत। |
| 9.  | जुबेदा खातुन<br>पति-अफजल हुसैन<br>ग्राम-हाजीपुर नीचाटोला<br>थाना-मुफसिल<br>पो0-जिला-कटिहार<br>सीआरनं0-154563 / 17                                     | कैंसर रोग | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत। |
| 10. | परमानन्द शर्मा<br>पिता-तीर्थराज सिंह<br>ग्राम-महावीर नगर<br>पो0-थाना-बेउर<br>जिला-पटना<br>सीआरनं0-119124 / 17   | कैंसर रोग | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत। |
| 11. | फुलो देवी<br>पति-राघो दास<br>ग्राम-पो0-पटदौरा<br>थाना-बाजपट्टी<br>जिला-सीतामढ़ी<br>सीआरनं0-171900 / 17  | कैंसर रोग | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत। |

140

|     |  |           |                                   |
|-----|--|-----------|-----------------------------------|
| 12. | मंजु देवी<br>पति-विनोद तिवारी<br>ग्राम+पो0-बिलौटी<br>थाना-शाहपुर<br>जिला-भोजपुर<br>सीआरनं0-156251 / 17   | कैंसर रोग | ₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 13. | सुरेन्द्र सिंह<br>पिता-रामप्रीत सिंह<br>ग्राम-रतनपुर डीही<br>पो0-मधौल<br>थाना-सरैया<br>जिला-मुजफ्फरपुर<br>सीआरनं0-140020 / 17                      | कैंसर रोग | ₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 14. | मुस्तकीमा खातुन<br>पति-मो0 अबुल हसन<br>ग्राम-पो0-वि0आहोक<br>थाना-साहेबपुर कमाल<br>जिला-बेगुसराय<br>सीआरनं0-146305 / 17                             | कैंसर रोग | ₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 15. | इन्दु देवी<br>पति-मिथलेश प्रसाद सिंह<br>ग्राम-मरवापाकड़ टोला रामपुरवा,<br>पो0-चौबे अम्बारा<br>थाना-सरैया<br>जिला-मुजफ्फरपुर<br>सीआरनं0-121031 / 17 | कैंसर रोग | ₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 16. | राम प्रवेश सिंह<br>पिता-महेन्द्र सिंह<br>ग्राम-हसनपुर सुरत टाडा<br>पो0-थाना-पटोरी<br>जिला-समस्तीपुर<br>सीआरनं0-023643 / 17                         | कैंसर रोग | ₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 17. | सुदामा मंडल<br>पिता-स्व. गज्जु मंडल<br>ग्राम-गांधी नगर<br>पो0-कुल्ला खास<br>थाना-कसवा<br>जिला-पूर्णिया<br>सीआरनं0-155548 / 17                      | कैंसर रोग | ₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 18. | रेखा देवी<br>पति-राजदेव चौधरी<br>ग्राम-खोरमपुर<br>पो0-थाना-हिलसा<br>जिला नालंदा<br>सीआरनं0-162991 / 17   | कैंसर रोग | ₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत। |

(५)

|     |   |           |                                   |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|
| 19. | विकास कुमार<br>पिता-महेश राय<br>ग्राम-बावन घाट<br>पो0-अदलपुर<br>थाना-महुआ<br>जिला-वैशाली<br>सीआरन0-159111 / 17                  | कैंसर रोग | ₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 20. | प्रिस कुमार ठाकुर<br>पिता-स्व. बिहारी ठाकुर<br>ग्राम-पो0-देकुली<br>थाना-ब्रहमपुर<br>जिला-बक्सर<br>सीआरन0-043769 / 17            | कैंसर रोग | ₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 21. | उपेन्द्र पंडित<br>पिता-मिश्री पंडित<br>ग्राम-लदोरा<br>पो0-सहसी<br>थाना-अलौली<br>जिला-खगड़िया<br>सीआरन0-166996 / 17              | कैंसर रोग | ₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 22. | कालपती देवी<br>पति-स्व. हीरा चौधरी<br>ग्राम-लच्छीपुर राजपुर<br>पो0-राजपुर<br>थाना-रघुनाथपुर<br>जिला-सीवान<br>सीआरन0-083294 / 17 | कैंसर रोग | ₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 23. | मीरा देवी<br>पति-अशोक सिंह<br>ग्राम-अमेर<br>पो0-नावानगर<br>थाना-विदुपुर<br>जिला-वैशाली<br>सीआरन0-151633 / 17                    | कैंसर रोग | ₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 24. | शांति देवी<br>पति-अवधेश राम<br>ग्राम-सलेमपुर<br>पो0-जीवधारा<br>थाना-पीपरा कोठी<br>जिला-पूर्वी चम्पारण<br>सीआरन0-150265 / 17     | कैंसर रोग | ₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 25. | अवध यादव<br>पिता-स्व. गेना यादव<br>ग्राम-सहरवा<br>पो0-खादीपुर<br>थाना-बिहरा<br>जिला-सहरसा<br>सीआरन0-144990 / 15                 | कैंसर रोग | ₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत। |



|     |   |          |                                    |
|-----|---|----------|------------------------------------|
| 26. | विष्णु मांझी<br>पिता-उपेन्द्र मांझी<br>ग्राम-चोर घटिया<br>पो0-जे0 लगमा<br>थाना-सिंधीया<br>जिला-समस्तीपुर<br>सीआरनं0-136111 / 17 | कैसर रोग | ₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत । |
| 27. | अरविन्द पासवान<br>पिता-विशनुदेव पासवान<br>ग्राम-चातर<br>पो0+थाना-रफीगंज<br>जिला-औरंगाबाद<br>सीआरनं0-141356 / 17                 | कैसर रोग | ₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत । |
| 28. | रामु मुखिया<br>पिता-सोनाई मुखिया<br>ग्राम-चौपता, पो0-कांको<br>थाना-भैरव स्थान<br>जिला-मधुबनी<br>सीआरनं0-141602 / 17             | कैसर रोग | ₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत । |
| 29. | विपुल कुमार<br>पिता-सुनील चौधरी<br>ग्राम-हथसारगंज<br>पो0-हाजीपुर, थाना-नगर<br>जिला-वैशाली<br>सीआरनं0-0171268 / 17               | कैसर रोग | ₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत । |
| 30. | मो. इब्राहीम<br>पिता-मो0 अकलु मियां<br>ग्राम-न्यु अलीगंज<br>थाना-चन्दौती<br>पो0-जिला-गया<br>सीआरनं0-149457 / 17                 | हृदय रोग | ₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत ।  |
| 31. | राज कुमारी देवी<br>पति-मेवा लाल महतो<br>ग्राम+पो0-विशुनपुरा<br>थाना-दरौंदा<br>जिला-सीवान<br>सीआरनं0-040915 / 15                 | कैसर रोग | ₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत ।  |
| 32. | शशि कला देवी<br>पति-विसेसर झा<br>ग्राम-पो0-सिसवार<br>थाना-फुलपरास<br>जिला-मधुबनी<br>पंजी / ओ0पीडी / 098672 / 16                 | कैसर रोग | ₹ 20,000 / -(बीस हजार) स्वीकृत ।   |
| 33. | शकुन्तला देवी<br>पति-परमेश्वरी चौधरी<br>ग्राम-पो0-जीवछपुर<br>थाना-गम्हरीया,<br>जिला-मधेपुरा<br>सीआरनं0-160403 / 17              | हृदय रोग | ₹ 85,000 / -(पचासी हजार) स्वीकृत । |

|     |   |                       |   |
|-----|---|-----------------------|---|
| 34. | निर्मला देवी<br>पति-हरदेव प्रसाद यादव<br>ग्राम-चन्द्रही हजारी टोल<br>पो0-चन्द्रही,<br>थाना-धमदाहा<br>जिला-पूर्णिया<br>सीआरनं0-149243 / 17 | हृदय रोग              | ₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।                |
| 35. | सामैर देवी<br>पति-योगेन्द्र यादव<br>ग्राम-गौरीपुर<br>पो0+थाना-सिंहेश्वर<br>जिला-मधेपुरा<br>सीआरनं0-171487 / 17                            | हृदय रोग              | ₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार)<br>स्वीकृत। |
| 36. | कन्हैया महतो<br>पिता-चन्द्रिका महतो<br>ग्राम-दौलतपुर चांदी<br>पो0-हरौली<br>थाना-सदर हाजीपुर<br>जिला-वैशाली<br>सीआरनं0-006171 / 17         | गुर्दा<br>प्रत्यारोपण | ₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार)<br>स्वीकृत।   |
| 37. | यमुना देवी<br>पति-रघुवीर शर्मा<br>ग्राम+पो0-माझीगामा<br>थाना-केवटी<br>जिला-दरभंगा<br>सीआरनं0-167030 / 17                                  | कैंसर रोग             | ₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।               |
| 38. | राम लखन चौहान<br>पिता-रामभजु चौहान<br>ग्राम-जोगीबीगहा<br>पो0+थाना-धमौल<br>जिला-नवादा<br>सीआरनं0-165315 / 16                               | कैंसर रोग             | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।                |
| 39. | श्याम दास<br>पिता-गणेशी दास<br>ग्राम-डकैता<br>पो0+थाना-मीरगंज<br>जिला-गोपालगंज<br>सीआरनं0-138184 / 17                                     | कैंसर रोग             | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।                |
| 40. | सरपत मंडल<br>पिता-बुद्धु मंडल<br>ग्राम-अंगारी<br>पो0-पुरैनी<br>थाना-जगदीशपुर<br>जिला-भागलपुर<br>सीआरनं0-135872 / 17                       | कैंसर रोग             | ₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।                |

१५१

|     |   |           |                                   |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|
| 41. | धीरेन्द्र पटेल<br>पिता-रामानन्द पटेल<br>ग्राम-राम चौरा<br>पो0-थाना-हाजीपुर<br>जिला-वैशाली<br>सीआरनं0-153012 / 17                | कैंसर रोग | ₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 42. | चन्देश्वर महतो<br>पिता-स्व. बुधन महतो<br>ग्राम-पारीख<br>पो0-थाना-औंगारी<br>जिला-नालंदा<br>सीआरनं0-088763 / 17                   | कैंसर रोग | ₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 43. | रीता देवी<br>पति-बृज लाल राय<br>ग्राम-भुसहुला<br>पो0-करवा<br>थाना-मुफसिल<br>जिला-भोजपुर, आरा<br>सीआरनं0-105734 / 17             | कैंसर रोग | ₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 44. | मनीषा पाण्डेय<br>पति-सुशांत पाण्डेय<br>ग्राम-कंकडबाग पटना<br>पो0-लोहिया नगर<br>थाना-कंकडबाग<br>जिला-पटना<br>सीआरनं0-140070 / 17 | कैंसर रोग | ₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 45. | सुनीता देवी<br>पति-बुदु दास<br>ग्राम-गौरीपुर<br>पो0-रजाकपुर<br>थाना-नावकोठी<br>जिला-बेगुसराय<br>सीआरनं0-137427 / 17             | कैंसर रोग | ₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।   |
| 46. | सुनैना देवी<br>पति-महेन्द्र साह<br>ग्राम-हनुमान नगर, चकला<br>पो0-कचरा<br>थाना-सौर बाजार<br>जिला-सहरसा<br>सीआरनं0-155486 / 17    | कैंसर रोग | ₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 47. | झुनिया देवी<br>पति-सुदामा यादव<br>ग्राम+पो0-हरिहरपुर लालगढ़<br>थाना-जी0बी0 नगर<br>जिला-सीवान<br>सीआरनं0-140869 / 17             | कैंसर रोग | ₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत। |

३५१

|     |   |           |                                   |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|
| 48. | बालदेव पासवान<br>पिता-हजारी पासवान<br>ग्राम-बांसेखाप<br>पो0-चौरीया, थाना-फेसर<br>जिला-औरंगाबाद<br>सीआरनं0-167262 / 17           | कैंसर रोग | ₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 49. | संगीता देवी<br>पति-अर्जुन राय<br>ग्राम-जलालपुर<br>पो0-रसलपुरा, थाना-डोरीगंज<br>जिला-सारण<br>सीआरनं0-151470 / 17                 | कैंसर रोग | ₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 50. | यदु प्रसाद सिंह<br>पिता-महावीर प्रसाद<br>ग्राम+पो0-कछीयावा<br>थाना-नगर नौसा<br>जिला-नालंदा<br>सीआरनं0-079552 / 14               | कैंसर रोग | ₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।  |
| 51. | हेमन्ती देवी<br>पति-सदन चौहान<br>ग्राम-मखदुमपुर बेउर<br>पो0-थाना-बेउर<br>जिला-पटना<br>सीआरनं0-'155556 / 17                      | कैंसर रोग | ₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।  |
| 52. | गीता देवी<br>पति-राम भगत राय<br>ग्राम+पोस्ट-सिधौली<br>थाना-अशोक पेपर मिल<br>जिला-दरभंगा<br>सीआरनं0-130991 / 16                  | कैंसर रोग | ₹ 40,000 / -(चालीस हजार) स्वीकृत। |
| 53. | सुरजा नन्द प्रसाद<br>पिता-शत्रुघ्न साह<br>ग्राम-पो0-ढोलबज्जा<br>थाना-फारबीसगंज<br>जिला-अररिया<br>पंजी / ओ0पीडी / 091081 / 16    | कैंसर रोग | ₹ 40,000 / -(चालीस हजार) स्वीकृत। |
| 54. | कृष्णा कुमार<br>पिता-नारायण मोची<br>ग्राम-मधवा, पो0-सेहरा<br>थाना-पालीगंज<br>जिला-पटना<br>सीआरनं0-048505 / 17                   | किडनी रोग | ₹ 1,00,000 / -(एक लाख) स्वीकृत।   |
| 55. | शशि शेखर मंडल<br>पिता-श्याम लाल मंडल<br>ग्राम-गंगवारा<br>पो0-बलीगढ़, थाना-रुन्नी सैदपुर<br>जिला-सीतामढ़ी<br>सीआरनं0-151491 / 15 | किडनी रोग | ₹ 1,00,000 / -(एक लाख) स्वीकृत।   |

|     |   |          |   |
|-----|---|----------|---|
| 56. | परशुराम मिस्त्री<br>पिता-गंगाधर मिस्त्री<br>ग्राम-पो0-नौडीहा<br>थाना-खीजरसराय<br>जिला-गया<br>सीआरन0-163973/17 | हृदय रोग | ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार)<br>स्वीकृत। |
|     |   |          | कुल ₹ 40,35,000/-                             |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 40,35,000/- (चालीस लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 818782 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलिसिस आदि के लिए।
6. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0/

(डा0 कविन्द्र प्रसाद सिन्हा)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 818782 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

ज्ञापांक

1562(14)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 20-09-17

प्रतिलिपि-लेखोपाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री श्रवण कुमार मा0 मंत्री ग्रामीण एवं संसदीय कार्य विभाग / श्री नन्द किशोर यादव मा0 मंत्री पथ नि0 विभाग / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.09.17